दैनिक जागरण नई दिल्ली, 17 अक्टूबर, 2009

# चिड़िया उड़ाने और मवेशी हांकने के भी मिलेंगे पैसे!

सुरेंद्र प्रसाद सिंह, नई दिल्ली

## जागरण विशेष

- हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और असम ने किया नरेगा का दायरा बढ़ाने का प्रस्ताव

अगर आप चिड़िया उड़ाना और मवेशी हांकना जानते हैं तो आपको रोजगार की गारंटी मिल सकती है। सरकार इन कामों को भी अति चर्चित नरेगा स्कीम में शामिल करने की तैयारी में है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (नरेगा) में कुछ और कार्यों को शामिल किए जाने की मांग को देखते हुए इस प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। सरकार का मानना है कि इससे जहां खेतों को चिड़ियों के चुगने से बचाया जा सकता है, वहीं वन्य जीवों की पुख्ता सुरक्षा का इंतजाम भी हो जाएगा।

केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री सी.पी. जोशी ने 'दैनिक जागरण' से बातचीत में बताया कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और असम ने इस तरह के प्रस्ताव भेजे हैं। पहाड़ और सघन जंगलों के आसपास की खेती को वन्य जीवों से भारी नुकसान पहुंचता है, जबकि कृषि की क्षति रोकने के लिए कुछ जगहों पर किए गए कुछ उपायों से भी वन्य जीवों की क्षति हो रही है। असम में जंगली हाथियों से खेती को नुकसान पहुंच रहा है, जबकि हिमाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जंगली जानवरों और चिड़ियों से। खेती को बचाने और छोटे-छोटे खेतों में खड़ी फसल की सुरक्षा के लिए मजदूर रखने पड़ते हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जोशी से मुलाकात कर इस संबंध में नरेगा के जरिए मदद मांगी है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में खेती को नील गायों से भारी नुकसान हो रहा है। नील गायों की बढ़ती आबादी से मैदानी क्षेत्रों की दलहन फसलों के लिए खासा संकट पैदा हो गया है। देश के विभिन्न क्षेत्रों से नील गायों की हत्या करने की अनुमति मांगी गई है, पर सांप्रदायिक संवेदनशीलता के मद्देनजर ऐसा करना संभव नहीं हो पा रहा है। इन राज्यों में खेती को बचाने के लिए नरेगा की मदद भी नहीं मांगी गई है। नरेगा में गांव के अकुशल बेरोजगार मजदूरों के लिए काम उपलब्ध कराना केंद्र सरकार की पहली प्राथमिकता है। नरेगा 15 करोड़ ऐसे लोगों को काम देने के निर्धारित लक्ष्य से बहुत पीछे चल रही है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री इससे बहुत चिंतित हैं। इसीलिए नरेगा के दायरे को बढ़ाने के लिए उन्होंने हाल ही में कुछ नए प्रावधान किए हैं, जिनके तहत लघु व सीमांत किसानों के खेतों पर काम करने को भी इसमें शामिल किया गया है।

राष्ट्रीय सहारा नई दिल्ली । शुक्रवार • 9 अक्टूबर • 2009

# जिला योजना समितियों की सार्थकता

विश्लेषण

आलोक पांडेय

**देश के विभिन्न राज्यों में जिला योजना समितियों की स्थिति की बात की जाए तो एक भ्रामक तस्वीर सामने आती है। कुछ राज्यों में अभी तक जिला योजना समितियों का गठन ही नहीं हुआ है तो कुछ में इन समितियों की अध्यक्षता राज्य के मंत्रियों द्वारा की जा रही है**

विगत दिनों बहुत सी राज्य सरकारों ने अपने-अपने राज्यों में सूखा प्रभावित जिलों की घोषणा की। धीरे-धीरे सूखा प्रभावित जिलों की संख्या बढ़ती रही। अंततः 277 जिलों के सूखाग्रस्त घोषित हो जाने के बाद केन्द्र सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा और केन्द्रीय स्तर पर राज्यों के सूखा प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति पर विचार किया गया। योजना आयोग की भूमिका इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण रही। इसी बीच इन्हीं सूखाग्रस्त राज्यों के कुछ जिलों में भारी वर्षा के कारण बाढ़ की स्थिति पैदा हो गयी और राज्य सरकारों का ध्यान सूखे से हटकर बाढ़ की विभीषिका कम करने में लग गया। गुजरात, बिहार, राजस्थान, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश, जैसे राज्यों में कुछ जिले सूखाग्रस्त घोषित किये गये तो कुछ जगहों पर बाढ़ नियंत्रण के प्रबंध भी किये गये। देश में कई और ऐसे राज्य हैं जहां प्राकृतिक आपदाओं का दुष्प्रभाव नियमित अन्तराल के बाद दिखता है। इन आपदाओं के कारण प्राकृतिक असंतुलन के साथ-साथ आर्थिक असंतुलन भी बढ़ रहा है।

कम बारिश के कारण बहुत से राज्यों में कृषि के साथ पीने के पानी और बिजली की समस्या गंभीर हुई है जो आने वाले समय में और गहरा सकती है। इससे क्षेत्रीय असंतुलन और व्यापक होगा। इसको दूर करने के लिए ही नीति-निर्धारकों ने जिला योजना समितियों के गठन की बात स्वीकार की थी किन्तु चौंकाने वाली बात यह है कि प्राकृतिक आपदाओं के नियंत्रण और क्षेत्रीय असंतुलन कम करने के संबंध में जिला योजना समितियों के साथ कोई विचार-विमर्श नहीं किया जा रहा है। अब जबकि विभिन्न राज्यों के आगामी वित्तीय वर्ष के संबंध में आयोजना की बात चल रही है और केन्द्रीय स्तर पर योजना आयोग ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना का मध्यावधि मूल्यांकन कर रहा है तो आवश्यक हो जाता है कि उन विषयों पर गंभीरता से विचार हो जिनके कारण प्राकृतिक आपदाओं पर नियंत्रण और क्षेत्रीय असंतुलन कम किया जा सके।

संविधान में राज्यों में जिला स्तर पर जिला योजना समितियों के गठन की बात कही गयी है। वास्तव में जिला योजना समिति ही वह एकमात्र समिति है जिसे संविधान आयोजना तैयार करने के लिए मान्यता देता है। संविधान की इसी मंशा को अमल में लाने के लिए ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) में जिला योजना समितियों के माध्यम से राज्य योजनाओं को तैयार करने पर जोर दिया गया किन्तु विभिन्न राज्यों के अनुभव बताते हैं कि अभी भी योजनाओं के निर्माण में पूर्ति पक्ष (सरकारी विभागों) का प्रभाव ज्यादा है और मांग पक्ष (स्थानीय आवश्यकता) पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, सर्व शिक्षा अभियान जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम इसके कुछ उदाहरण हैं। राष्ट्रीय महत्व के इन कार्यक्रमों की कमजोर प्रगति और लोगों तक वास्तविक लाभ न पहुंच पाने के पीछे प्रमुख कारण पूर्ति आधारित अनुचित आयोजना का निर्माण भी रहा है।

जिला योजना समितियां किन परिस्थितियों के कारण अपनी भूमिका नहीं निभा पा रही हैं, इन पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। यदि देश के विभिन्न राज्यों में जिला योजना समितियों की स्थिति की बात की जाए तो एक भ्रामक तस्वीर सामने आती है। कुछ राज्यों में अभी तक जिला योजना समितियों का गठन ही नहीं हुआ है तो कुछ में जिला योजना समितियों की अध्यक्षता राज्य के मंत्रियों द्वारा की जा रही है। जिला योजना समितियों के पास न स्वयं का कोई कार्यकर्ता है और न उनके पास लोकसेवकों की जवाबदेही सुनिश्चित कराने संबंधी नियमों की कोई जानकारी है। विकेन्द्रीकृत शासन व्यवस्था के अन्तर्गत स्थानीय स्तर पर अभिशासन की इकाइयों के गठन के संबंध में संवैधानिक मान्यता मिल जाने के बाद भी जनप्रतिनिधियों की क्षमता पर प्रश्न खड़ा करते हुए लोकसेवक सुविधानुसार आयोजना तैयार करने में लगे हैं। पूरे परिदृश्य का दुःखद पहलू यह है कि राज्यों के राज्य योजना मंडल भी इस संबंध में चुप्पी साध संवैधानिक उल्लंघन को मौन स्वीकृति दे रहे हैं।

जिला योजना समितियां अपने जिले के लिए एक बेहतर आयोजना कर सकें, इसके लिए व्यवस्था में व्यापक सुधार जरूरी है। सबसे पहले जिला योजना समिति को संस्थागत स्वरूप दिये जाने की आवश्यकता है। इसका स्वरूप संस्थागत तभी हो सकता है जब इसके प्रति कुछ लोगों की पूर्णकालिक जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। स्थानीय स्वशासन की इकाइयों को मजबूत करने के लिए राज्य सरकारों को 'गतिविधि मानचित्रण' (एक्टिविटी मैपिंग) आधारित कार्य, कार्यकर्ता और कोष का विकेन्द्रीकरण भी करना होगा। संस्थागत स्तर पर परिवर्तन व्यापक सुधार की प्रक्रिया है अतः इसे कार्यनीति बनाकर विभिन्न चरणों में करने की जरूरत है ताकि विभिन्न हितभागियों के बीच का मतभेद निबटाया जा सके।

जिला योजना समिति दायित्व पूरा कर सके इसकी पहली शर्त यह है कि समितियों को संसाधन भंडार (रिसोर्स एनवेलप) की जानकारी दी जाए। इसके अभाव में नियोजनकर्ता जहां एक ओर संसाधनों की कमी की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर जिले के वित्तीय संस्थानों की अधिकांश राशि गैर उत्पादक परिसम्पत्ति के रूप में अनुपयोगी पड़ी रह जाती है। जिला योजना निर्माण के लिए दूसरी जरूरत यह है कि आगामी वित्तीय वर्ष (2010-11) के लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्थापित पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय शहरी निकायों के सहयोग से जमीनी स्तर पर आयोजनाओं का निर्माण हो। इसके आधार पर जिला योजना समितियां जिले की ग्रामीण और शहरी आवश्यकता और उनकी प्राथमिकता तैयार करने में सक्षम होंगी। पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय शहरी निकायों के माध्यम से तैयार योजनाओं को जिला स्तर पर जिला योजना समिति के माध्यम से अंतिम रूप देते हुए इसी आधार पर आगामी वित्तीय वर्ष (2010-11) की योजना को अंतिम रूप दिया जाए।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में 'समावेशी विकास' के जिस महत्वपूर्ण बिन्दु पर ध्यान देने की बात कही गयी है वह सही मायनों जिला योजना समितियों के दायित्वों को सकारात्मक सोच के साथ बढ़ावा देने के साथ ही सार्थक हो सकता है। जिले की आयोजना बेहतर बनाने के लिए जरूरी है कि जिला स्तर पर अर्थ व संख्या विभाग के लोकसेवक इस संबंध में सहयोग देकर अद्यतन आंकड़े उपलब्ध करा सकते हैं। इससे विशिष्ट आयोजना बनाने और उससे लाभान्वित होने वाले लोगों की सही संख्या का अनुमान लग सकेगा। उपलब्ध आंकड़े लिंग आधार पर हों तो और भी लाभकारी होगा क्योंकि इससे लिंग-भेद दूर करने वाली योजनाओं के निर्माण पर ज्यादा ध्यान दिया जा सकेगा। इसी प्रकार नगर व ग्राम योजना विभाग के लोकसेवक भविष्य में शहरी व ग्रामीण आबादी की मूलभूत संरचना से जुड़ी जरूरतों की जानकारी जिला योजना समिति को देकर आयोजना तैयार करने में सहयोग दे सकते हैं। जिलों में स्थापित राष्ट्रीय सूचना केन्द्र कार्यालय के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों के आंकड़ों का उपयोग किया जाए। स्थानीय स्तर पर कार्य कर रही स्वैच्छिक संस्थाएं भी इस संबंध में सहयोग दे सकती हैं।

स्थानीय स्तर पर गठित जिला योजना समितियां जिले के आर्थिक और सामाजिक ताने-बाने को बेहतर ढंग से समझती हैं और उनसे जुड़ी समस्याओं का समाधान भी उनके पास होता है। मुद्दा चाहे शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका जैसे आधारभूत विषयों का हो या आतंकवाद, पर्यावरण असंतुलन जैसे व्यापक प्रभाव वाले विषयों का, इन समितियों के माध्यम से सभी का हल स्थानीय स्तर पर किया जा सकता है। एक समय वित्तीय संसाधनों का रोना रोने वाले विभागों के पास आज संसाधनों की कोई कमी नहीं है। कमी है तो केवल एक बेहतर परिकल्पना की जिसे जिले के स्तर पर ही उपलब्ध मानव संसाधनों के ज्ञान को मान्यता देते हुए उनके सहयोग से पूरा किया जा सकता है।

Pradesh, he says the visits brought him closest to witnessing the phenomenon of government departments and functionaries imbibing and emulating a corporate culture like that of the NGOs. He feels Andhra Pradesh has demonstrated a poverty-reduction model unparalleled anywhere in South Asia. The SERP has not stopped with alleviating poverty, as most micro-credit programmes do; it has facilitated millions of poor and destitute families to come out of poverty.

There is also a word of caution from him. Khan is of the view that the Zilla Samakhyas of the SERP will survive and be éffective only if the SHGs are viable along with the V.Os. To quote him: "Andhra achieved the most magnificent model of elimination of rural poverty that I know of in the world. The CRP initiative is a fully home grown and a powerful tool to take the programme to the scale."

The book not only throws light on the socio-political and socio-economic conditions of contemporary rural communities in the subcontinent but provides insights into the Rural Support Programme — a successful and sustainable model initiated by Khan, thanks to his life-time experience in, and commitment to the cause of, rural development. The model needs to be replicated in other parts of South Asia. The publication will make an absorbing reading, particularly to those working in the field of rural development.

DELHI
THE HINDU • FRIDAY, OCTOBER 2, 2009

# Panchayati Raj turns 50 today; festivities at Nagaur

Special Correspondent

## Sonia Gandhi to join commemoration of the event

JAIPUR: The Panchayati Raj is turning 50 on October 2, though the country may not have been able to live up to the expectations of the Father of the Nation, Mahatma Gandhi, in making "village republics" out of the village panchayats.

The district headquarters of Nagaur in west Rajasthan, which witnessed the country's first Prime Minister Jawaharlal Nehru launching Panchayati Raj on October 2, 1959, will witness celebrations this Friday to mark the golden jubilee of the empowerment of the people at grassroots level when UPA chairperson Sonia Gandhi joins the commemoration of the event.

The Rajasthan Government has planned a series of measures to make the occasion eventful with announcement of steps to further empower the Panchayati Raj by decentralising powers. An announcement of departments which would be handed over to the panchayats is expected at the event which would see participation of a large number of people from rural areas.

The importance being given to the programme by the State Government could be gauged from the fact that early this week Mr. Gehlot himself went to the area to supervise the arrangements.

### Outstanding legislations

Apart from the fact that it all started here, Rajasthan assumes significance in Panchayati Raj as the Union Minister for Panchayati Raj and Rural Development C. P. Joshi is from the State.

Moreover some of the outstanding legislations which involved empowerment of rural people, including the National Rural Employment Guarantee Scheme and the Right to Information, have had their beginning in the State.

Pandit Nehru's trip to Nagaur was preceded by the enactment of the Panchayat Samiti and Zila Parishad Act of September 2, 1959. The three-tier system for panchayats was adopted on the basis of the recommendations of the Balwantraj Mehta Committee.

The implementation of the Act came into effect from October 2 when the Panchayati Raj was formally launched from Nagaur. Andhra Pradesh had the launch soon after, on October 11, while Assam, Karnataka and Madras had it in 1960. The State of Maharashtra had the launch in 1962 and West Bengal in 1964. One by one all the other States followed suit later.

"Rajasthan is planning a series of programmes to commemorate the launch," noted State Minister for Panchayati Raj and Rural Development Bharat Singh.

"We will felicitate the surviving Zila Pramukhs, Pradhans, and sarpanchs who were elected under the new system for the first time 50 years back. They are all over 80 years of age now," he informed.

The Nagaur event will find three of the six surviving Pramukhs joining the celebrations.

In fact, the first Zila Pramukh of Nagaur passed away early this year.

"There will be gram sabhas all over the State on October 7. In all, the State will have a fortnight-long celebrations," Mr. Singh noted.

DELHI
THE HINDU • TUESDAY, OCTOBER 27, 2009

# A model for rural development

## Traces the evolution of a sustainable rural development model for South Asia

U. Subrahmanyam

This book traces the evolution of a sustainable rural development model for South Asian countries, based on Shoaib Sultan Khan's personal field experiences in the subcontinent after setting out his roots in northern India during pre-Partition days. It takes the reader through the grassroots of development which culminated in a participatory development model ready for emulation by several NGOs and government agencies.

Khan served initially in the civil services of Pakistan and later moved to UNICEF and UNDP projects. Subsequently he worked for 12 years with the Geneva-based Aga Khan Foundation. His work in the Mahaweli Ganga project (Sri Lanka), a multipurpose irrigation project, is a classic example of participatory development process started as early as in the 1970s where the villagers organised themselves to settle water disputes and increase the farm output.

### Objective

The Aga Khan Rural Support Programme (AKRSP) extended its activities in every single village in Pakistan. Under the existing local structure, there is no statutory body at the village level. The union council, which typically comprises 10 villages with one member from each village, was the only effective body for inter-village planning, and taxation. But it was inadequate for economic development of individual villages and the vacuum was filled by the Village Organisation (V.O). The AKRSP's objective is to raise the farmer's income above the subsistence level and help him emerge as a commercial farmer in the long run. The author is clear that AKRSP is an economic programme and not a political one.

The AKRSP, which promoted autonomous rural support programmes, limited its direct involvement to giving the necessary training and concentrated on the development of a viable model. In the process of localising the development, the question arose whether an elected functionary can be bypassed, and Khan's answer was that a member of the union council, usually a part of the V.O., is not the sole arbiter in the village. Community pressure had a greater force than legal power. Even when formalised, the V.O. will not be a traditional cooperative because it is the general body, rather than the management body, that will rule. The interaction the author had with various V.Os. has been narrated in detail and this should serve as a guide to those engaged in social mobilisation for any development activity.

### Principles

The principles of community development were well-defined by the AKRSP, but it needed tremendous effort and courage on the part of development workers to

**THE AGAKHAN RURAL SUPPORT PROGRAMME – A Journey Through Grassroots Development: Shoaib Sultan Khan; Oxford University Press, YMCA Library Building, Jai Singh Road, New Delhi-110001. Rs. 725.**

make a success of them in practice. The village organisation under the AKRSP is a truly democratic set up requiring the convening of all the members. In such a set-up where everyone is properly trained in taking up development programmes that served the overall interests of the village, there can be no place for bad or selfish leadership, including that of the political variety. In this context, it may not be out of place to make a comparison with the 'gram sabhas' functioning in India. It is doubtful whether, the way they are organised, the 'gram sabhas' are truly democratic. There is an imperative need for a major initiative for human resource development on a large-scale to revitalise the 'gram sabhas', if the various rural development programmes are to be meaningful.

The author is of the view that an NGO engaged in such a development process should be relatively independent of the political change. It should, preferably, not associate itself with any political formation. This is a wakeup call for the Self-Help Groups, which have emerged in large numbers in India. They need to be kept free from politics, if they are to enable the sustainable development of their villages.

### Unparalleled

In the concluding chapter, where Khan speaks about his visits to the SHGs of the Society for Elimination of Rural Poverty (SERP) in Andhra